बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की कंडिका–36 एवं 32 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में विभिन्न जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में रिक्त एवं रिक्त होने वाले अध्यक्ष पद के विरूद्ध अगले आदेश तक निम्नरूपेण जिला आयोग के अध्यक्षों को अतिरिक्त प्रभार आवंटित किया जाता हैः–

जिला आयोग का नाम	अध्यक्ष, जिला आयोग को अतिरिक्त प्रभार	आदेश प्रभावी होने की तिथि
1	2	3
सारण	अध्यक्ष, जिला आयोग, सिवान को अध्यक्ष, जिला आयोग, सारण का अतिरिक्त प्रभार; दोनों जिला आयोगों में सप्ताह में तीन–तीन दिन कार्य करेंगे।	दिनांक 14.04.2025 से प्रभावी
अरवल	अध्यक्ष, जिला आयोग, भोजपुर को अध्यक्ष, जिला आयोग, अरवल का अतिरिक्त प्रभार; दोनों जिला आयोगों में सप्ताह में तीन–तीन दिन कार्य करेंगे।	दिनांक 03.04.2025 से प्रभावी
गया	अध्यक्ष, जिला आयोग, औरंगाबाद जो पूर्व से अध्यक्ष, जिला आयोग, कैमूर के प्रभार में हैं, को अध्यक्ष, जिला आयोग, गया का भी अतिरिक्त प्रभार; तीनों जिला आयोगों में सप्ताह में दो–दो दिन कार्य करेंगे।	दिनांक 14.04.2025 से प्रभावी

2. जिला आयोग में अध्यक्ष के नियमित पदस्थापन होने के पश्चात यह आदेश स्वतः समाप्त हो जाएगा।
3. उपरोक्त जिला आयोगों से संबंधित पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाएगा।
4. आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
5. यह आदेश कंडिका–3 में अंकित तिथि से प्रभावी होगा।

18/3/25

(विभूति रंजन चौधरी)
निदेशक–सह–विशेष सचिव,
उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– खाद्य (निदे0) प्र0–I–54/2024(खण्ड) 376 खाद्य,पटना/दिनांक 18/03/2025

प्रतिलिपिः– निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/सचिव एवं निदेशक कोषांग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/25

निदेशक–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांकः– खाद्य (निदे0) प्र0–I–54 / 2024(खण्ड) 376 खाद्य,पटना / दिनांक 18/03/2025

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की प्रति विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(83)

18/3/25

निदेशक–सह–विशेष सचिव

D drive/Sec 02, 2024/Adhisuchana